

467

1175-37



भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ
फाइल सं. ई- 11017/3/2017- हिन्दी-2 डीओआर डीओआर
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
हिन्दी अनुभाग-2



गैम.
26/6/2018

अधिसूचना

का.आ. केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग के अधीन केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, मुंबई मध्य, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 13 जून, 2018

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली।

सी.जी.एस.टी. एवं कें. उ. शुल्क, आयुक्तालय
CGST & CX, Commissionerate

26 JUN 2018

हिन्दी अनुभाग, मुंबई मध्य

HINDI SECTION, MUMBAI CENTRAL

(डॉ. सतीश चन्द्र)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 23092499

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-2, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
4. राजस्व विभाग के अंतर्गत सभी अधीनस्थ कार्यालय।
5. राजस्व विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
6. अपर महा-निदेशक, निरीक्षण महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क डी ब्लाक, आई पी स्टेट, नई दिल्ली-110002

✓ आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई मध्य, वस्तु एवं सेवा कर भवन, 115, महर्षि कर्वे मार्ग, चर्चगेट स्टेशन के सामने, मुंबई 400020

514
26/6/2018